

श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा संचालित कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद), एवं पंचकर्म सहायक के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के सत्र 2013-2014 में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं।

- 1. उपलब्ध सीट -** कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद) 60 सीट एवं पंचकर्म सहायक 30 सीट (श्रेणी एवं संर्वगवार विवरण परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है)।
- 2. सीटों का आरक्षण-** छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विभिन्न श्रेणी एवं संर्वग के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगा (दिखें परिशिष्ट 'अ')।
 1. विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से आवेदक केवल एक ही श्रेणी / संर्वग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
 2. जिस श्रेणी/संर्वग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो आवेदक को उससे संबंधित छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 3. आवेदन पत्र भरते समय ही आवेदक को यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किस श्रेणी की आरक्षित सीट के लिए आवेदन कर रहा है। यदि आवेदन पत्र में यह स्पष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे अनारक्षित श्रेणी का समझा जाएगा तथा बाद में कोई भी आपत्ति माव्य नहीं की जाएगी।
 4. अनुसूचित जाति (एस.सी.) अनुसूचित जनजाति (एस.ठी.) तथा अन्य पिछड़ी जाति (किमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी हेतु आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग नया रायपुर के पत्र दिनांक 29 जून 2013 के तारतम्य में आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को जाति सत्यापन प्रमाण पत्र के स्थान पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 5. कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद) एवं पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम महिला एवं पुरुष दोनों आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगी।
 6. कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद) एवं पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम हेतु महिलाओं के लिए शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
 7. प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली सीटों की सभी श्रेणियों में सैनिक संर्वग के लिए 03 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संर्वग हेतु 03 प्रतिशत, विकलांग संर्वग हेतु 03 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज एवं श्रेणीवार होगा।
- 3. प्रवेश हेतु पात्रता -** केवल उसी अभ्यर्थी को आवेदन करने की पात्रता होगी जो :-
 1. भारत का नागरिक हो।
 2. छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो (छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है)।
 3. दोनों पाठ्यक्रमों कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद) एवं पंचकर्म सहायक (आयुर्वेद) हेतु महिला एवं पुरुष दोनों आवेदक पात्र होंगे।
- 4. शैक्षणिक अर्हताएँ -**

विज्ञान विषय (बायोलॉजी समूह) के साथ 10+2 प्रणाली की 12 वीं परीक्षा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण।

विशेष:- 1. वर्ष 2013 में 12 वीं की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को इस

- वर्ष प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
2. यदि किसी आवेदक के 12 वीं परीक्षा के अंकों में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना द्वारा वृद्धि होती है, तो ऐसे आवेदक आवेदन पत्र में संशोधन हेतु प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को प्रावीण्यता सूची प्रकाशन के पूर्व अपना आवेदन दे सकते हैं।
- 5. आयु :-** दिनांक 1 जुलाई 2013 को ज्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो।
- 6. चयन पद्धति :-**
1. 10+2 (12वीं कक्षा) (बायोलॉजी समूह) के प्राप्तांकों की प्रावीण्यता के आधार पर श्रेणी एवं संवर्ग के अनुसार उपलब्ध सीटों के अनुरूप प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रवेश हेतु मेरिट/प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी।
 2. समान कुलांक प्राप्त आवेदकों की मेरिट, विषयों की महत्वा के निम्नलिखित कम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निर्धारित की जायेगी।

(अ) बायोलॉजी	(ब) कोमिस्ट्री	(स) फिजिक्स
--------------	----------------	-------------
 3. यदि उपरोक्त कम में भी अंक समान रहते हैं तो जिस आवेदक की आयु अधिक होगी उसे प्रावीण्यता कम में ऊपर रखा जावेगा।
- 7. प्रवेश प्रक्रिया :-**
1. प्राचार्य द्वारा तैयार मेरिट/प्रावीण्यता सूची के आधार पर आवेदक को प्रवेश हेतु उपस्थित होने के संबंध में सूचना (काल लेटर) यथासमय डाक, दैनिक समाचार एवं आयुर्वेद बोर्ड की वेबसाईट www.cgaupcb.in के माध्यम से भेजी जावेगी।
 2. प्रवेश के इच्छुक आवेदक का आवेदन पत्र प्राचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ को निर्धारित तिथि **17.08.2013** अथवा विलम्ब शुल्क सहित **22.08.2013** तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।
 3. प्रवेश के समय जमा की गई फीस की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
 4. आवेदक को प्रवेश के समय महाविद्यालय में आवश्यक सभी मूल प्रमाण पत्र/ अभिलेख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
 5. यदि आवेदक निर्धारित तिथि तक प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है या प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज एवं शुल्क की संपूर्ण राशि का ड्राफ्ट/ नगद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यता कमानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश का अवसर खो देगा। उसके स्थान पर उसी संवर्ग/श्रेणी में उपलब्ध आवेदकों में से प्रावीण्यता कम से प्रवेश दिया जायेगा।
 6. प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक के संस्था में उपस्थित न होने पर या प्रवेशोपरांत संस्था छोड़ देने पर या किसी अन्य कारण से स्थान रिक्त होता है तो उन रिक्त स्थानों के विरुद्ध मेरिट/ प्रावीण्यता के आधार पर पुनः उसी श्रेणी एवं संवर्ग के आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा।
 7. रिक्त सीटों पर प्रवेश :-
 - (क) किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के ‘‘बिना संवर्ग’’ में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
 - (ख) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उस श्रेणी की रिक्त सीटों को निम्नानुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा :-

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। यदि इन दोनों श्रेणियों से अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्त सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्त सीटें अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी और अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी न होने की दशा में अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। इन तीनों श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्त सीटें अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

08. प्रवेश रद्द करना :- यदि यह पाया गया कि कोई आवेदक झूठी / गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.), का निर्णय अंतिम होगा।

09. चिकित्सकीय उपयुक्तता :- चयनित उम्मीदवार को प्रवेश हेतु चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी तथा इस हेतु सिविल सर्जन अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा उन्हें प्रवेश तभी मिल सकेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित हो जायेंगे।

10. आवेदन पत्र संबंधी जानकारी :-

- (क) आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर आवेदकों को आवेदन करना होगा जो विज्ञापन के साथ संलग्न है।
- (ख) आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगाना होगा :-
 1. 10+2 प्रणाली से उत्तीर्ण 12वीं परीक्षा (बायोलॉजी समूह) की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 2. आयु संबंधी मेट्रिक / हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 3. यदि किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र के स्थान पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 5. क्षैतिज आरक्षण में लाभ लेने हेतु सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग संवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति
 6. आवेदक स्वयं का पूर्ण पता व पिन कोड लिखा हुआ पोस्ट कार्ड संलग्न करें।
 7. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर ‘कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद) / पंचकर्म सहायक हेतु आवेदन पत्र’ लिखें।

11. शुल्क :-

आवेदन शुल्क तालिका

	श्रेणी	बैंक ड्राफ्ट की राशि	अंतिम तिथि
बिना विलंब के	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी.	700/-	17.08.2013
	अनु. जाति एवं अनु. जनजाति	400/-	
विलंब की स्थिति में	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी.	800/-	22.08.2013
	अनु. जाति एवं अनु. जनजाति	500/-	

- नोट :- 1. आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) अथवा Principal, Govt. Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.) के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेची हो तथा रायपुर में देय हो, संलग्न करें।
2. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे अपना पूरा नाम लिखें।
3. अंतिम तिथि (विलंब शुल्क सहित) के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को अमान्य कर दिया जावेगा एवं शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा। डाक के विलंब के लिए प्राचार्य जिम्मेदार नहीं होंगे।
4. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
5. आवेदन पत्र पूर्णतः न भरे जाने एवं बिन्दु -10 में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज/शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। मूल प्रमाण पत्र संलग्न न करें, इन्हें प्रवेश के समय ही साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज साथ नहीं लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा और वह प्रवेश का अवसर छो देगा। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया छल्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा इन पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित प्रस्तावानुसार होगी। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर छ.ग. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

परिशिष्ट ‘अ’

कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद) एवं पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम हेतु श्रेणी एवं संवर्गवार उपलब्ध सीटों की संख्या -

पाठ्यक्रम - कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद)
कुल सीट - 60

पाठ्यक्रम	अनारक्षित				अनुसूचित जाति	अनुसूचितजनजाति				अ.पि.वर्ग	कुल सीट
	निल	वि.	एफ.	सै.		निल	वि.	एफ.	सै.		
कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद)	23	1	1	1	07	16	1	1	1	08	60
कुल सीट	26				07	19				08	60

पाठ्यक्रम - पंचकर्म सहायक

कुल सीट - 30

पाठ्यक्रम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्यपिछङ्ग वर्ग	कुल सीट
पंचकर्म सहायक	12	04	10	04	30

परिशिष्ट 'ब'

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) में कम्पाउण्डर आयुर्वेद (फार्मासिस्ट आयुर्वेद) एवं पंचकर्म सहायक के सीटों हेतु शुल्क का निर्धारण :-

क्रमांक	विवरण	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी. वर्ग हेतु	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु
01.	प्रवेश शुल्क	1000=00	500=00
02.	शिक्षण शुल्क	4000=00	2000=00
03.	पुस्तकालय शुल्क	250=00	250=00
04.	प्रयोगशाला शुल्क	500=00	500=00
05.	सुरक्षा निधि	500=00	500=00
06.	परीक्षा शुल्क	500=00	500=00
07.	शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	250=00	250=00
	योग	7000=00	4500=00